

आहन्दा पत्रावली कॅम्प कोट/ लोक अदा
में दिनांक 25.6 को पेश हो।

Pr

एस डी ओ/ रीडर

जानिबानी

सुहास ल

Pr

25/6 कॅम्प कोट में पेश हुआ। वाली क प्रतीवाली
340 वाली का वाइ टिकुनी प्रेश जमा हो। कॅम्प
निर्णय प्रक है आगिन म्वाकनी प्रेश जमा। कॅम्प
के प्र शुभ होकर काम हो का हो प्रेश वाइ
कॅम्प को पेश गण्डार ची। *Pr*

वासी

Pr

Pr

राजस्थान सरकार

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

पीठासीन अधिकारी श्री विजयादेवी मीना शर्मा खानपुर इंदौर

उपखण्ड अधिकारी समवेत सिंह

उपनाम

सोहनलाल

वादा संख्या:- 33,33,188 R.T.A.T.

मुकदमा नम्बर:- 16/18

निर्णय तिथि:- 25.6.18

वादी की ओर से श्री विजयादेवी मीना शर्मा

की व प्रतिवादी की ओर से श्री सोहनलाल

को न्यायालय में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम

निश्चय के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि - विजयादेवी मीना शर्मा को 1/2 भाग का स्वामित्व

प्लॉट नं. 225/2012 इंदौर खण्ड ग्राम खैराबाद में वादी को 1/2 भाग का स्वामित्व प्राप्त होगा तथा प्रतिवादी को 1/2 भाग का स्वामित्व प्राप्त होगा। इसी तथ्य पर न्यायालय का फैसला किया जाता है। इसी तथ्य पर न्यायालय का फैसला किया जाता है।

खर्चा प्रत्येकान्न अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25.6.18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(Handwritten signature)

(विजयादेवी मीना शर्मा)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे